संख्या-86/2018/2621 ई-2/तेरह-2018-106/2014टीसी

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 27 सितम्बर, 2018

विषयः-एम0 एण्ड टी0पी0 एक्ट,1955 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली,1956 के निरसित हो जाने के पश्चात् विकृत अल्कोहल प्राप्त कर सौन्दर्य प्रसाधन निर्माण करने वाली इकाईयों को विकृत अल्कोहल के संचय हेतु उत्तर प्रदेश विकृत तथा विशिष्टया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लाइसेंस नियमावली,1976 के अन्तर्गत एफ0एल0-41 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्य—जी-37/दो-805ए(विविध)/वि0म0एफ0एल0-41, दिनांक 20 जुलाई,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एम0 एण्ड टी0पी0 एक्ट,1955 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली,1956 के निरसित हो जाने के पश्चात् विकृत अल्कोहल प्राप्त कर सौन्दर्य प्रसाधन निर्माण करने वाली इकाईयों को विकृत अल्कोहल के संचय हेतु उत्तर प्रदेश विकृत तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लाइसेंस निमयावली,1976 के अन्तर्गत एफ0एल0-41 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र में उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त एम0 एण्ड टी0पी0 एक्ट,1955 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली,1956 के निरसित हो जाने के पश्चात् विकृत अल्कोहल प्राप्त कर सौन्दर्य प्रसाधन निर्माण करने वाली इकाईयों को एल0-1 अनुज्ञापन प्रदान किए जाने में आ रही समस्याओं के दृष्टिगत विकृत अल्कोहल के संचय हेतु उत्तर प्रदेश विकृत तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लाइसेंस निमयावली,1976 के अन्तर्गत एफ0एल0-41 अनुज्ञापन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन दिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

(1) परफ्यूम निर्माण हेतु अल्कोहल को कब्जे में रखने के लिए एफ0एल0-41 स्वीकृत किए जाने में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस हेतु प्रदत्त अनुमति का दुरूपयोग न हो।

(2) एफ0एल0-41 अनुज्ञापन प्रदान किए जाने हेतु इससे सम्बन्धित पूर्व निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के उपरान्त ही अनुज्ञापन निर्गत किए जाएं।

(3) परफ्यूम निर्माण हेतु एफ0एल0-41 अनुज्ञापन प्रदान किए जाने से पूर्व इस बात का ध्यान रखा जाए कि इससे राजस्वहित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(4) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस प्रकार दी जा रही अनुमति केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी विधि व्यवस्था के प्रतिकूल न हो।

(5) यह प्रदत्त अनुमति एम0 एण्ड टी0पी0 एक्ट,1955 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली,1956 के निरसित हो जाने के फलस्वरूप उसके स्थान पर बनाई जा रही नियमावली के प्रख्यापित होने के उपरान्त स्वत: ही समाप्त हो जाएगी।

कृपया तद्नुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।